कार्यालय जिला न्यायाधीश, टिहरी गढ़वाल

वित्तीय वर्ष 2023–2024 हेतु कैटीन की नीलामी

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय नई टिहरी में स्थित कोर्ट कैन्टीन को वित्तीय वर्ष 2023–2024 (दिनांक 01.04.2023 से दिनांक 31.03.2024 तक) की अवधि के लिए संचालन पर दिये जाने हेतु दिनॉक 17.03.2023 को अपराह्न 4.15 बजे न्यायालय प्रॉगण नई टिहरी में नीलामी/बोली की कार्यवाही की गयी थी किन्तु उक्त दिवस को नीलामी/बोली कार्यवाही में केवल 01 बोलीदाता उपस्थित हुआ जबकि नीलामी/बोली की कार्यवाही में नियमानुसार तीन बोलीदाताओं के उपस्थित होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में न्यायालय परिसर स्थित कैन्टीन संचालन पर दिये जाने हेतु पुनः नीलामी/बोली की कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है। अतः इच्छुक बोलीदाता दिनांक 25.03.2023 को अपरान्ह 4.15 बजे न्यायालय प्रांगण में उपस्थित होकर उक्त कैन्टीन की नीलामी/बोली की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कैन्टीन की बोली हेतु न्यूनतम धनराशि मु0 63,000/– निर्धारित की गयी है, कैन्टीन की बोली हेतु उपस्थित बोलीदाता को न्यूनतम धनराशि से ऊपर की धनराशि से बोली प्रारम्भ करनी होगी। कैन्टीन को संचालन पर दिये जाने हेतु निर्धारित नियम एवं शर्ते जिला जजी टिहरी गढवाल की वेव साईट **https://districts.ecourts.gov.in/ tehrigarhwal** से प्राप्त किया जा सकता है।

उक्त सूचना को सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किये जाने के साथ ही न्यायालय की बेव साईट पर अपलोड किया जाय।

17-03-23	17-3-2023	17-03-23
(भगत सिंह पुण्डीर)	(रीतिका सेमवाल)	(विनोद कुमार वर्मन)
सदस्य/कोषाधिकारी	सदस्य/सीनियर सिविल जज	अध्यक्ष/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
टिहरी गढवाल	टिहरी गढवाल	टिहरी गढवाल।

जिला जजशिप टिहरी गढवाल में न्यायालय परिसर स्थित कोर्ट कैन्टीन को वित्तीय वर्ष 2023–2024 हेतु बोली/नीलामी के माध्यम से संचालन पर दिये जाने हेतु निर्धारित शर्ते

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के प्रशासनिक आदेश संख्या 17/2023 दिनांक 03.03.2023 के अनुपालन में जिला जजशिप टिहरी गढवाल के नई टिहरी मुख्यालय स्थित कोर्ट कैन्टीन को वित्तीय वर्ष 2023–2024 के लिए संचालन पर दिया जाना है। अतः इच्छुक व्यक्ति दिनांक 25.03.2023 को सांय 4:15 बजे न्यायालय प्रांगण में उपस्थित होकर कैन्टीन की नीलामी/बोली में प्रतिभाग कर सकता है। कैन्टीन को संचालन पर दिये जाने हेतु शर्ते निम्न प्रकार है :–

(1) कैन्टीन की बोली हेतु न्यूनतम धनराशि मु0 63,000/– निर्धारित की गयी है कैन्टीन की बोली में उपस्थित बोलीदाताओं निर्धारित न्यूनतम धनराशि से उपर की धनराशि से बोली प्रारम्भ करनी होगी।

(2)–बोली बोलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उक्त न्यूनतम बोली की एक चौथाई धनराशि मु0 15,750/– को बतौर जमानत जमा करनी होगी । यदि बोली बोलने वाले व्यक्ति की बोली अधिक नहीं होगी तो उस स्थिति में जमानत की धनराशि वापस की जायेगी और अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति की धनराशि जमानत में परिवर्तित की जायेगी ।

(3)–नीलामी जिला न्यायाधीश की मॅजूरी पर स्वीकृत होगी । नीलामी स्वीकृत होने पर ठेके की धनराशि 4 किश्तों में जमा करनी होगी । पहली किश्त व उतनी ही धनराशि की जमानत की धनराशि बोली बोलने वाले दिन ही जमा करनी होगी , दूसरी किश्त दिनॉक 01–07–2023 , तीसरी किश्त दिनॉक 01–10–2023 तथा चौथी किश्त दिनॉक 01–01–2024 तक जमा करनी होगी । नियत तिथि तक किश्त जमा न होने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है तथा जमानत की धनराशि जब्त की जा सकती है । ठेके की अवधि समाप्त होने पर जमानत की धनराशि वापस की जायेगी।

(4)–जिस व्यक्ति के नाम बोली छूटेगी वह नीलामी की शर्तों के अनुरूप एक बन्धनामा व एक स्थानीय तथा सम्मानित जमानत के साथ जिला न्यायाधीश के पक्ष में जमा करेगा, ऐसा न करने पर ठेका निरस्त किया जायेगा और दोबारा नीलामी की जायेगी तथा जमानत की धनराशि जब्त की जायेगी ।

(5)– प्रश्नगत कैन्टीन में किसी भी दशा में कोई भी नशीली वस्तु अथवा सड़ा गला खाद्य एवॅ पेय पदार्थ की बिकी नहीं की जायेगी । खाने पीने की वस्तुओं को स्वच्छता के साथ विकय किया जायेगा तथा दुकान में किसी भी प्रकार से पालिथीन का प्रयोग नहीं किया जायेगा । उल्लॅघन करने पर कानूनी कार्यवाही करते हुए जमानत राशि जब्त की जायेगी व शेष धनराशि , यदि कोई हो, की वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

(6)–जिस व्यक्ति के नाम बोली छूटेगी वह बोली स्वीकृत होने के पश्चात बन्धनामा भरने , जमानत देने एवॅ पहली किश्त अदा करने के बाद आदेश मिलने पर दुकान का काम शुरू करेगा ।

(7)–दुकान में कार्य शुरू करने पर उसे अलग से सफाई एवॅ कूड़ादान की व्यवस्था करनी होगी ।

(8)– नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति पर यदि कोई अपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में लम्बित हो तो वह बोली नहीं बोल सकता है । इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष जमानत देते समय प्रस्तुत करना होगा । जिस व्यक्ति के नाम नीलामी छूटेगी वह स्वयॅ तथा उसके परिवार का कोई भी सदस्य अथवा नौकर , जिसका कोई आपराधिक इतिहास न हो , दुकान/रेस्टोरेंट पर बैठ सकता है ।

(9) जिस व्यक्ति के नाम नीलामी छूटेगी उसे विद्युत कनेक्शन स्वयं लगाना होगा तथा विद्युत कनेक्शन के सापेक्ष विद्युत कर का भार स्वयं वहन करना होगा।

(10) जिस व्यक्ति के नाम नीलामी छूटेगी वह स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेगा, भोजन बनाने वाली जगह एवं भोजन पकाने वाली जगह साफ सुथरी एवं कीचड रहित, गन्दगी रहित रखेगा एवं भोजन सामग्री पर किसी प्रकार के मक्खी, मच्छर, कीडे–मकोडे नहीं बैठे इस हेतु स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेगा। इसके अतिरिक्त कैन्टीन की संविदा अवधि में शासन द्वारा समय–समय पर जारी कोविड–19 से सम्बन्धित गाइडलाईन्स का पालन करना होगा।

(11)– जिस व्यक्ति के नाम नीलामी छूटेगी वह गुटका, तम्बाकू एवं अन्य नशीले पदार्थ की बिक्री नही करेगा।

(12)– जिला न्यायाधीश को बिना कारण बताये सबसे ऊँची बोली बोलने वाले की बोली को अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

	17-3-23	17-03-23
(भगत सिंह पुण्डीर)	**(रीतिका सेमवाल)**	**(विनोद कुमार वर्मन)**
सदस्य/कोषाधिकारी	सदस्य/सीनियर सिविल जज	अध्यक्ष/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
टिहरी गढवाल	टिहरी गढवाल	टिहरी गढवाल।